दिनांक 20.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी कुल 7100/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

दिनांक 18.02.26 को पीडित प्रदीप कुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम अध्याना थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा अपने फोन से UPI के माध्यम से कुल 7100 /- रूपये निकल जाने की सूचना थाना नकुड़ पर आकर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा NCRP PORTAL पर शिकायत सं0 33102260038519 दर्ज करायी गयी थी।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नुकड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा शिकायत में तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पीडित की धनराशी होल्ड करायी गयी थी।**थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा उपरोक्त साइबर शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित के खाते में शतप्रतिशत धनराशी कुल 7100/- रुपये की धनराशि वापस** करायी गयी।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. कम्पयूटर आपरेटर हर्षित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

महत्पूर्ण नोट- आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी विभिन्न माध्यमों जैसे फर्जी कॉल, मैसेज, ई-मेल, सोशल मीडिया लिंक, लॉटरी या इनाम के प्रलोभन, KYC अपडेट तथा बैंक संबंधी जानकारी के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। अतः सभी नागरिकों से अपील है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP, पासवर्ड, बैंक खाता विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड नंबर या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अज्ञात मोबाइल एप डाउनलोड करने से बचें। ऑनलाइन लेन-देन करते समय केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत ऐप का ही उपयोग करें।

यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का संदेह हो या आप साइबर अपराध का शिकार हो जाएं, तो बिना समय गंवाए तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 **पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। त्वरित सूचना देने से आपके धन की रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है।**

दिनांक- 20.02.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत – सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस की कार्यवाही में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस व 15 ग्राम अवैध स्मैक तथा 30,500/- रूपये नगद एंव 01 तमंचा .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है। व **शासन द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.02.2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त 1. **जुबैर पुत्र तासीन निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. समरजहाँ उर्फ रानी पत्नी स्व0 शकूर निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम पानसर से रीढी मोहिद्दीनपुर जाने वाले खडन्जे पर कब्रिस्तान के पास स्थित आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस, 15 ग्राम अवैध स्मैक, 01 देशी तमन्चा .315 बोर व 30,500/- रूपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0 94/26 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. जुबैर पुत्र तासीन नि0 ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. समरजहाँ उर्फ रानी पत्नी स्व0 शकूर निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त जुबैर आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 123/25 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 533/25 धारा- 115(2)/191(1)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

अभियुक्ता समरजहाँ उर्फ रानी का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 424/22 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 150 ग्राम अवैध चरस (अभियुक्त जुबैर के कब्जे से)
- 01 देशी तमन्चा .315 बोर (अभियुक्त जुबैर के कब्जे से)
- 12,500/- रूपये नगद (अभियुक्त जुबैर के कब्जे से)
- 15 ग्राम अवैध स्मैक (अभियुक्ता समरजहाँ उर्फ रानी के कब्जे से)
- 18,000/- रूपये नगद (अभियुक्ता समरजहाँ उर्फ रानी के कब्जे से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 378 तरूण कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1759 सावन कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. म0का0 1333 रूबी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. म0का0 917 मनीता थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

महिला थाना पुलिस द्वारा शांति भंग करने वाली 14 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी राणा के कुशल नेतृत्व में महिला थाना पुलिस टीम द्वारा पुलिस लाइन्स सहारनपुर में स्थित टीन शेड में कुछ महिलाए कस्बा गागलहेडी में चर्च के कब्जे को लेकर आमदा फसाद हो रही थी दोनो पक्षों को काफी समझाया किन्तु दोनों ही पक्ष बात मानने को तैयार नही थे व लडाई झगडे पर उतारू हो जाने के दृष्टिगत पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षो को अन्तर्गत धारा 170,135,126 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का विवरण:-

1. मीरा पत्नि रामलाल निवासी गागलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. ग्रेसी थोमस पुत्री रामलाल निवासी गागलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. बबली पत्नि जगविन्दर निवासी सरगथल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
4. बबली पत्नि सेठपाल निवासी तिवाया नवादा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
5. रेखा पत्नि शिव कुमार निवासी पिलखना थाना सरसावा सहारनपुर।
6. धर्मबीरी पत्नि योगेन्दर निवासी ग्राम ताजपुर थाना नागल जिला सहारनपुर।
7. गीता पत्नि कर्म सिंह निवासी ग्राम हरडेकी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
8. मोना पत्नि अंकुश निवासी पिलखना थाना सरसावा सहारनपुर।
9. राजकुमारी पत्नि अरविन्द निवासी गागलहेडी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
10. वन्दना पत्नि कार्तिक निवासी गागलहेडी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
11. दयावती पत्नि किशन निवासी गागलहेडी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
12. ओमवती पत्नि रमेश निवासी गागलहेडी थाना गागलहेडू जिला सहारनपुर।
13. शिमला पत्नि महेन्द्र समस्त निवासी गागलहेडी थाना गागलहेडा जिला सहारनपुर।
14. मुकेश पत्नि नैनसिंह निवासी हसनपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक कुसुम भाटी राणा महिला थाना सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 मोनिका यादव महिला थाना सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 अरशिया कुरैशी महिला थाना सहारनपुर।
4. म0है0का0 1156 ज्योति सोम महिला थाना सहारनपुर।
5. म0का0 14 सरिता सिंह महिला थाना सहारनपुर।
6. म0का0 1542 वर्षा महिला थाना सहारनपुर।
7. म0हो0गा0 533 रूबी महिला थाना सहारनपुर।
8. म0हो0गा0 513 ममता महिला थाना सहारनपुर।

दिनांक: 20.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 19/20.02.2026 की रात्रि को वादी **हर्षित रोहिला पुत्र स्वर्गीय शिवचरण निवासी कमल बिहार जाली फैक्ट्री वाली गली नवादा रोड दरा शिवपुरी थाना सदर जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत **रोहित कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी मौहल्ला सरस्वती विहार कस्बा व थाना भवन जनपद शामली** द्वारा वादी के **पिता शिवचरण निवासी कमल बिहार जाली फैक्ट्री वाली गली नवादा रोड दरा शिवपुरी थाना सदर जनपद सहारनपुर** की जान से मारने की नियत से गोली चलाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर **मु0अ0सं0 63/2026 धारा 103(1) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उफरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी एंव घटना में प्रयुक्त अस्लाह की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिएइसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक **श्री रोजन्त त्यागी** के कुशल नेतृत्व में आज **दिनांक 20.02.2026** को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **रोहित कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी मौहल्ला सरस्वती विहार कस्बा व थाना थाना भवन जनपद शामली** को बाबा लालदास मन्दिर के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लाईसेन्सी पिस्टल 0.32 बोर / 02 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर शस्त्र बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 27/30 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी मौहल्ला सरस्वती विहार कस्बा व थाना थाना भवन जनपद शामली

बरामदगी विवरण-

- 01 लाईसेन्सी पिस्टल 0.32 बोर / 02 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0 नि0 श्री रोजन्त त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह(चौकी प्रभारी शहादत) थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 20.02.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध रूप से डस्ट से भरा हुआ, 01 ट्रक (14 टायरा) किया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार एवं राजस्व टीम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19/20.02.2026 की रात्रि मे चौकी शहाजहाँपुर में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चैकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 01 ट्रक को चेक किया गया जो अवैध रुप से डस्ट से भरे हुये बिना किसी वैध प्रपत्र के परिवहन कर रहे थे। उक्त वाहन को नियमानुसार सीज किया गया है।

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियमविरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।

विवरण –

- ***01 ट्रक** 14 टायरा रजि0 न0 – UP15DT 5795*

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर*
2. *संग्रह अमीन महीपाल सिंह जनपद सहारनपुर मय टीम के*
3. *मय पुलिस टीम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*